न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/215

1. नाथू दास आत्मज श्री मोतीदास (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. शिवराम पुत्र स्वर्गीय श्री नाथूदास उम्र 65 वर्ष जाति बैरागी निवासी ग्राम जुल्मी तहसील रमागंजमण्डी जिला कोटा ।
   1/2. शम्भू लाल पुत्र स्वर्गीय श्री नाथूदास उम्र 60 वर्ष जाति बैरागी निवासी ग्राम जुल्मी तहसील रमागंजमण्डी जिला कोटा ।
   1/3. देवकन्या बाई पुत्री स्वर्गीय श्री नाथूदास उम्र 50 वर्ष जाति बैरागी निवासी ग्राम जुल्मी तहसील रमागंजमण्डी जिला कोटा ।

–––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

–––रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2009 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी नाथू आत्मज मोती जाति बैरागी निवासी जुल्मी को ग्राम जुल्मी की आराजी खसरा नम्बर 428 की रकबा 10 बीघा दिनांक 12.12.1978 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी । आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है, आवंटी ने आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.12.1978 निरस्त किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.08.2009 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी नाथू के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.12.1978 खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2009 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा ने निर्णय दिनांक 07.09.2010 के द्वारा खारिज किया गया ।

5. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2010 से व्यथित होकर अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.2016 के द्वारा अपील न्यायालय हाजा को पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड की ।

6. माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । पक्षकारान को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

8. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेज संलग्न किये हैं उनमें नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2036 से 2040 एवं नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2041 से 2044 संलग्न है । उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रतियॉ हैं उक्त दस्तावेज प्रकरण से सम्बन्धित हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट को ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में कृषि कार्य हेतु राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 के तहत दिनांक 12.12.1978 को खसरा नम्बर 428 रकबा 10 बीघा का आवंटन किया गया था । अपीलान्ट आवंटी गरीब परिवार का सदस्य होने के कारण आंवटित भूमि पर संवत् 2054 से 2061 तक काश्त नहीं कर पाया तथा इस अवधि के दौरान पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण भूमि पर फसल उगाया जाना संभव नहीं होने के कारण उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर हल्का पटवारी ने गिरदावरी रिपोर्ट में पडत अंकित कर दिया । अपीलान्ट के द्वारा आवंटन की सम्पूर्ण शर्तो का पालन किया गया है तथा उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवंटन निरस्त कर दिया । कानूनन अपीलान्ट आवंटन के 10 साल बाद खातेदारी राईट्स प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है और 30 वर्ष बाद आवंटन खारिज करना विधि सम्मत नहीं है । अपीलान्ट ने एक पैमाइश का प्रार्थना पत्र भी जिला कलक्टर महोदय को दिया गया था जिस पर पैमाईश करने के बारे में भी लिखा गया था उसके बावजूद भी तहसीलदार रामगंजमण्डी ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उक्त आराजी की पैमाईश करवाई । अपीलान्ट वर्तमान में गैर खातेदार के रूप में काबिज काश्त चला आ रहा है तथा अपीलान्ट की भूमि उपजाऊ एवं काश्त योग्य भूमि है जबकि हल्का पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार काबिल काश्त नहीं बताया गया है। अपीलान्ट द्वारा सम्पूर्ण रकबे में वर्तमान में काश्त की जा रही है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2009 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरटी 2014 (2) पेज 759, आरआरटी 2011 (1) पेज 270 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार के द्वारा आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनके अनुसार वादग्रस्त आराजी पडत है । आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन का निरस्त करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2009 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनाक 02.09.2000 संलग्न है जिसमें पटवारी हल्का ने जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी संलग्न कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नाथू पुत्र मोतीदास को दिनांक 12.12.1978 को नामान्तकरण संख्या 629 से आवंटित हुई है । मौके पर आवंटी का काश्त मय कब्जा नहीं है, मौके पर भूमि पडत है । नकल जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 के अनुसार उक्त भूमि नाथू पुत्र मोतीदास जाति बैरागी के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी के अनुसार संवत् 2954 से 2056 तक उक्त आराजी पडत रही है ।

12. पत्रावली में एक रिपोर्ट पटवारी की जिस पर तहसीलदार के द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये गये हैं भी संलग्न है । हमने उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया उक्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि आवंटित आराजी खसरा नम्बर 428 रकबा 10 बीघा भूमि वर्तमान में खाल खद्दर एवं पटारी के स्वरूप में स्थित है एवं रास्ता भी निकल रहा है । भूमि काबिल काश्त उपजाऊ नहीं है कंकरीली व पठारी के रूप में खाल खद्दरनुमा है । आवंटी का आज तक इस भूमि पर कब्जा नहीं रहा है एवं इस पर कभी कोई फसल भी नहीं बोई गई है । इसके अलावा पत्रावली में संलग्न नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2061 से 2063 संलग्न है जिसमें आवंटित आराजी पर संवत् 2061 में उडद किया जाना और संवत् 2062 एवं 2063 में उक्त आराजी पडत दर्शायी गई है । पत्रावली में एक प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न है उक्त प्रार्थना पत्र नाथू आत्मज मोतीदास जी जरिये पुत्र शिवराज आत्मज नाथूदास जी द्वारा दिनांक 18.03.2006 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा अंकित किया है कि उक्त आराजी आवंटन समिति द्वारा आवंटन होने के बाद मुझ प्रार्थी को न तो उक्त आराजी पर कब्जा दिया गया और नही उक्त भूमि किस जगह स्थित है मौके पर कब्जा दिया गया है । अतः आवंटनशुदा आराजी खसरा नम्बर 428 रकबा 10 बीघा पर प्रार्थी को कब्जा दिलाया जावे ।

13. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2009 से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने के आधार पर आवंटन खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 07.09.2010 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बहाल रखा गया है । न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2010 के विरूद्ध अपीलान्ट ने द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में पेश की जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट जो पेज 13 पर संलग्न है महत्वपूर्ण है जिसमें अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटी का आज दिनांक तक कब्जा नहीं रहा है और न ही उनके द्वारा आज तक कोई फसल

बाई गई है, आराजी खाल खद्दर के रूप में है, काबिल काश्त नहीं है, कंकरीली एंव पठारी के रूप में है । इसके अलावा दिनांक 18.03.2006 का अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र भी महत्वपूर्ण है जिसमें प्रार्थी ने स्वयं अंकित किया है कि आवंटन के उपरान्त उनको मौके पर कब्जा नहीं दिया गया है । वादग्रस्त आराजी का आवंटन वर्ष 1978 में हुआ था और यह प्रार्थना पत्र वर्ष 2006 में प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थना पत्र जो कि अपीलान्ट के द्वारा स्वयं पेश किया गया है उसके अनुसार वर्ष 2006 तक उनको कब्जा आवंटन के उपरान्त नहीं दिया गया है । अब अपील में उनके द्वारा खसरा गिरदावरी की प्रति पेश की गई है और यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है और संवत् 2054 से 2061 में वर्षा नहीं होने के कारण वो काश्त नहीं कर पाये । उनके द्वारा पेश की गई खसरा गिरदावरी संवत् 2041 से 2044 की है जिसमें संवत् 2042 में काश्त होना संवत् 2043 में पडत रहना और संवत् 2044 में 05 बीघा में ज्वार एवं 05 बीघा पडत होना अंकित किया है । संवत् 2036 से 2040 की खसरा गिरदावरी आवंटित आराजी से सम्बन्धित नहीं है । आंवटन की शर्तो के अनुसार आवंटन के तुरन्त बाद के 02 वर्ष के भीतर आवंटित आराजी पर काश्त किया जाना होता है । उक्त आवंटन वर्ष 1978 में हुआ है तद्नुसार प्रकरण में संवत् 2035 एवं उसके बाद के 02 वर्ष की खसरा गिरदावरी का अवलोकन करने से ही यह स्पष्ट हो सकता है कि आवंटन के 02 वर्ष के भीतर आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना की है । आवंटन के समय की खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है । संवत् 2036 से 40 की गिरदावरी आवंटी को आवंटित आराजी से सम्बन्धित नहीं है । इसके अलावा पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट तहसीलदार एवं आवंटी के स्वयं के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2006 के अनुसार आवंटन के बाद आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश को निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आरआरटी 2014 (2) पेज 759 प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि क्योंकि इस प्रकरण में पटवारी के द्वारा आवंटित आराजी को आवंटी के कब्जे में बताया गया है जबकि हस्तगत प्रकरण में आवंटी आवंटित आराजी पर कब्जे में नहीं है । आरआरटी 2011 (1) पेज 270 भी प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा नहीं होता है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2009 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा